न्यायालय नायब तहसीलदार पीलवा (नागौर) राजस्थान

प्रार्थी राज.सरकार जरिये पटवारी हल्का झालरा

बनाम

अप्रार्थी :- श्री बिरदाराम/जगन्नाथ जाट निवासी साँचोर अन्तर्गत धारा 91 भू-राजस्व अधिनियम 1956

प्रकरण सख्या 32/2018

निर्णय

दिनांक 27.6.18

पत्रावली का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि पटवारी हल्का झालरा ने अप्रार्थी के विरूद्व टी.पी. रिपोर्ट प्रस्तुत की है कि अप्रार्थी द्वारा सवत् 2075 मे सरहद .... के खसरा नम्बर 302 की किस्म गैं.मु. गौचर मे रकबा 0.01 है. बीघा भूमि मे डोला पत्थर लगा कर अतिकमण किया है। जिस पर बाद धारा 91 एल आर एक्ट 1956 के तहत प्रकरण दर्ज किया जाकर अप्रार्थी को वास्ते वजह सबूत नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थी — से नोटिस तामिल होने पर शामिल पत्रावली किया गया। अप्रार्थी की तरफ से अधिवक्ता श्री — ने दिनांक — को उपस्थित होकर — प्रस्तुत किया जिसे शामिल पत्रावली किया गया ।

पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजातो एवं हल्का पटवारी की रिपोर्ट का अवलोकन किया गया अप्रार्थी का ग्राम साँचोर के खसरा नम्बर 302 किस्म गैं.मु. गौचर में रकबा 0.01 है. बीघा की भूमि पर अतिकमण किया जाना वर्तमान में सिद्ध होना पाये जाने पर अप्रार्थी को अतिकमी घोषित किया जाता है।

अत : अप्रार्थी द्वारा उक्त अतिकमित भूमि पर किये गये अतिकमण को मौके से बेदखल करने का आदेश पारित किया जाता है। लगान दर 8 रूपये प्रति हैक्टेयर की दर से अतिकमित रकबा 0.01 है. बीघा भूमि के 0.08 रूपये लगान का 50 गुणा 4/- अक्षरे चार रूपये बतौर जुर्माना दण्डित किया जाता है। जुर्माना की राशि तहसील राजस्व लेखाकार व पटवारी हल्का को माग कायमी कर वसूली हेतु लिखा जावे। पटवारी हल्का को आदेश दिया जाता है कि अप्रार्थी को मौके से भौतिक रूप से बेदखल कर पालना रिपोर्ट प्रस्तुत करे।

निर्णय आज दिनॉक 27-06-18 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

नायब तहसीलदार पीलवा